

विषय-सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
मैनुअल संख्या- 8		
1.	डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड से सम्बद्ध बोर्ड, परिषद, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण	1-6

1. डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड से सम्बद्ध बोर्ड, परिषद, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण—

- डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि०, हल्द्वानी (नैनीताल) गठित एवं कार्यरत है। इस फेडरेशन का मुख्य कार्य जनपदीय दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में विभिन्न योजनाओं का संचालन करना है।
- पृथक् राज्य उत्तरांचल गठन के पश्चात् प्रदेश स्तर पर डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल का गठन किया, जिसका निदेशालय मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, जनपद—नैनीताल में रखा गया तथा साथ ही, 12 मार्च, 2001 को प्रदेश स्तर पर “उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन” का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, जनपद—नैनीताल में रखा गया। मा० मंत्री प्रसाद नैथानी, सहकारिता मंत्री, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में वन एवं ग्राम्य विकास सभाकक्ष, उत्तरांचल, सचिवालय, देहरादून में 07 फरवरी, 2003 को उत्तरांचल राज्य में “उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965” में आवश्यक संशोधन कर “उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम—2003” को लागू किये जाने हेतु बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सहकारी क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बैठक में “उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक—2003” प्रस्तुत किया गया तथा इस पर चर्चा की गयी एवं इसे विधेयक के रूप में अन्तिम रूप से मंजूरी प्रदान कर श्री संजीव चौपड़ा जी, तात्कालिक सहकारिता सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा “उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम—2003” को प्रदेश में लागू किये जाने हेतु विधिवत् जारी कर दिया गया। वर्ष 2004 में इस अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी समिति नियमावली—2004 भी तैयार कर लिया गया। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में “उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम—2003” के अनुसार सहकारी समितियों का कार्य कलाप सुचारू रूप से संचालित व सम्पादित किया जा रहा है।

- दुग्ध उत्पादकों को सुलभतापूर्वक तथा अच्छे गुणवत्ता का पशुआहार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से रूद्रपुर में 100 मै0 टन क्षमता का ऑचल पशुआहार निर्माणशाला का निर्माण वर्ष 1998 में किया गया तथा माह दिसम्बर, 1998 से पशुआहार का उत्पादन प्रारंभ किया गया। वर्तमान में पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर में दुधारू पशुओं के आहार के साथ-साथ कुक्कुट, भेड़, सूकर, घोड़ा, शशक, मछली, लेयर ब्रीडर/ब्रायलर बीडर का आहार तथा कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक आदि का निर्माण किया जा रहा है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तरप्रदेश में निर्मित दुग्ध व दुग्ध पदार्थों को “पराग” ब्राण्ड के नाम से बिक्री किया जाता रहा है। प्रदेश गठन के पश्चात् उत्तराखण्ड प्रदेश में निर्मित दुग्ध व दुग्ध पदार्थों तथा पशुआहार को “ऑचल” ब्राण्ड के नाम से बिक्री किया जाता है।

1.1 सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता –

- उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल।
फोन नं0 – 05946–255358.

1.2 सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

- समिति।

1.3 सम्बद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

- उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन का गठन वर्ष 2001–02 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, सम्बद्ध जनपदीय दुग्ध संघों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग/परामर्श प्रदान करना है।

1.4 सम्बद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबन्धकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

- कार्यकारिणी।

1.5 स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

- उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन के कार्य संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का गठन किया जाता है। नीतिगत विषयों पर प्रबन्ध समिति में हुए निर्णयों के आधार पर संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रबन्ध निदेशक) द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) के निर्वाचित प्रबंध कमेटी/सभापति/उपसभापति का नाम निम्नवत् है—

1. श्रीमती रेखा देवी बिष्ट	—सभापति
2. श्री दिनेश सिंह डांगी	—सदस्य
3. श्रीमती सतेश्वरी कैंथोला	—सदस्य
4. श्री नत्थी सिंह कैन्तुरा	—सदस्य
5. श्रीमती मंजू देवी	—सदस्य
6. श्री राम पाण्डेय	—सदस्य
7. श्रीमती हरू देवी	—सदस्य
8. श्री विजय रमोला	—सदस्य
9. श्री रणवीर सिंह	—सदस्य
10. ए०के० अग्रवाल	—नामित प्रतिनिधि
11. श्री संजय उपाध्याय	—नामित प्रतिनिधि
12. श्री प्रकाश चन्द्र	—सदस्य / सचिव

1.6 मुख्य अधिकारी का नाम—

- श्री प्रकाश चन्द्र, प्रबन्ध निदेशक।

1.7 मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते—

- उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन का मुख्य कार्यालय मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, (नैनीताल) में स्थित है।

1.8 बैठक की आवृत्ति

- सामान्यतः दो माह में एक बार।

1.9 क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?

- नहीं।

1.10 क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है?

- हाँ।

1.11 क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें।

- हाँ। प्रबन्ध निदेशक, को इस आशय का औचित्यपूर्ण प्रार्थना पत्र देकर।

1.12 डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड से सम्बद्ध बोर्ड, परिषद, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण—

- डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित एवं कार्यरत है। इन जनपदीय दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

1.13. सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता —

- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, देहरादून
फोन नं० — 0135 — 2787225, 2787955
- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, टिहरी
फोन नं० — 01376 — 232071,
- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, उत्तरकाशी
फोन नं० — 01374 — 235256, 222396
- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, श्रीनगर गढ़वाल
फोन नं० — 01346 — 252335, 232042
- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, सिमली (चमोली)
फोन नं० — 01363 — 247420
- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, नैनीताल
फोन नं० — 05645 — 268061, 268127
- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, उधमसिंहनगर
फोन नं० — 05943 — 252555, 250554
- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, अल्मोड़ा
फोन नं० — 05662 — 233026, 233075
- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पिथौरागढ़
फोन नं० — 05964 — 226016
- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत
फोन नं० — 05965 — 230426
- दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हरिद्वार
फोन नं० — 01334—254396

1.14. सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

- समिति।

1.15. सम्बद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

- ग्रामीण क्षेत्रों में आनन्द पद्धति पर दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुए दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- तकनीकी निवेश सेवाएं उपलब्ध कराते हुए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु सतत प्रयास करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के साधन सृजित करना।

- नगरीय क्षेत्रों में उचित दर पर शुद्ध दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

1.16. सम्बद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबन्धकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

- कार्यकारिणी।

1.17. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः—

- प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन किया जाता है।

वर्तमान में निम्न दुग्ध सहकारी संघों में विधिवत् निर्वाचन हुआ है, जहाँ निर्वाचित प्रबंध कमेटी/सभापति/उपसभापति हैं। साथ ही, निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियों, उत्तराखण्ड द्वारा प्रशासक कमेटी का गठन करते हुए सभापति व सदस्यों को नामित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, नैनीताल।	सभापति—श्री मुकेश बोरा
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, उधमसिंहनगर।	सभापति—श्री अर्जुन रौतेला
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, अल्मोड़ा।	सभापति—श्री महेन्द्र सिंह
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत।	सभापति—श्रीमती पार्वती देवी
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, टिहरी।	सभापति—श्री जगदम्बा बेलवाल
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, देहरादून।	सभापति—श्री विजय रमोला
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, श्रीनगर गढ़वाल।	सभापति—श्री हरेन्द्र पाल सिंह
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, उत्तरकाशी।	सभापति—श्री सुरेन्द्र नौटियाल
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, (सिमली) चमोली।	सभापति—विश्वेश्वरी देवी
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पिथौरागढ़।	सभापति—श्री विनोद भट्ट
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हरिद्वार।	सभापति—श्री रणवीर सिंह

1.18. मुख्य अधिकारी का नाम—

क्र.सं.	नाम दुग्ध संघ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रधान प्रबंधक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, नैनीताल।	श्री अजय क्वीरा
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, उधमसिंहनगर।	श्री एस०एस०पाल
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, अल्मोड़ा।	श्री एल०एम०जोशी
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत।	श्री राजेश मेहता
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पिथौरागढ़।	श्री एम०एम०पन्त
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, टिहरी।	श्री अजीत कुमार सिंह
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, देहरादून।	श्री मान सिंह पाल
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, श्रीनगर गढ़वाल।	श्री हरि सिंह
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, उत्तरकाशी।	श्री नीरज कुमार
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, (सिमली) चमोली।	श्री नरेश कुनियाल

11. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, हरिद्वार।

श्री संजय डिमरी

1.19. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते—

क्र.सं.	नाम दुग्ध संघ	मुख्य कार्यालय (मोहल्ला/गली का पता)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, नैनीताल।	लालकुंआ
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, उधमसिंहनगर।	कंजाबाग रोड, खटीमा
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, अल्मोड़ा।	पाताल देवी
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत।	जूप पटवा
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पिथौरागढ़।	बिण
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, टिहरी।	एच०ब्लॉक, नई टिहरी
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, देहरादून।	रायपुर रोड, देहरादून।
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, श्रीनगर गढ़वाल।	श्रीनगर गढ़वाल।
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, उत्तरकाशी।	मातली
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, (सिमली) चमोली।	सिमली
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, शिकारपुर, हरिद्वार।	शिकारपुर

1.20. बैठक की आवृत्ति

— दो माह में एक बार।

1.21. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?

— नहीं।

1.22. क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है?

— हाँ।

1.23. क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें।

— हाँ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, को इस आशय का औचित्यपूर्ण प्रार्थना पत्र देकर।